मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा

ओ0 ए0 सं0–1034 / 2019 कृपाकर मिश्रा

बनाम्

यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में

पारित आदेश दिनॉक–09.01.2020 के अनुपालन में

ग्राम–रौप, मझौली, पड़री एवं जिला अस्पताल, सोनभद्र तथा संरक्षित वन क्षेत्र राबर्ट्सगंज में भण्डारित सॉलिड वेस्ट स्थल की संयुक्त समिति की

निरीक्षण आख्या

(प्रदीप गिरी) **अधिशासी अधिकारी,** नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।	(रवीन्द्रनाथ) **परियोजना प्रबन्धक,** सी0 एण्ड डी0 एस0, यूनिट–38, उ0प्र0 जल निगम, सोनभद्र।	(राधेश्याम) **क्षेत्रीय अधिकारी,** उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।	(के0एस0 पाण्डेय) **उप जिलाधिकारी,** **सदर,** सोनभद्र।

Scanned with CamScanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सख्या–1034/2019 कृपाकर मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ग्राम–रौप, मझौली, पड़री एवं जिला अस्पताल, सोनभद्र तथा संरक्षित वन क्षेत्र राबर्ट्सगंज में भण्डारित सॉलिड वेस्ट की जिलास्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सख्या–1034/2019 कृपाकर मिश्रा बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 09.01.2020 के मुख्य अंश निम्नानुसार हैः–

"Prayer in this application is for steps to prevent illegal dumping of solid waste near Village Raup, Majholi Padadi, Sonbhadra District Hospital and the protected forest area in Robertsganj.

Before considering the matter further, we find it necessary to require a factual and action taken report in the matter from the District Magistrate, Sonbhadra and the UPPCB. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The report may be filed by email within one month at judicial-ngt@gov.in....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र ने आदेश संख्या–जी–113898/OG-66/NGT/2020, दिनांक 29.01.2020 द्वारा चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। (संलग्नक–1)

जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र के आदेश दिनांक 29.01.2020 के अनुपालन में नगरीय सॉलिड वेस्ट के भण्डारण स्थल ग्राम–रौप, मझौली, पड़री, जिला अस्पताल सोनभद्र तथा संरक्षित वन क्षेत्र, राबर्ट्सगंज का निरीक्षण उप जिलाधिकारी सदर सोनभद्र, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र, परियोजना प्रबन्धक सी0 एण्ड डी0 एस0 सोनभद्र तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र द्वारा दिनांक 30.09.2020 को किया गया। विस्तृत आख्या निम्नानुसार हैः–

1. निरीक्षण के समय ग्राम–रौप, मझौली, पड़री जिला अस्पताल सोनभद्र के खसरा संख्या–524 (रकबा–3.092 हेक्टेयर) पर लगभग 1600 वर्गमीटर क्षेत्रफल में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट कर वर्मीकम्पोस्टिंग का कार्य होते हुए पाया गया। निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज के उपस्थित अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया था कि उक्त

(प्रदीप गिरी) | (रवीन्द्रनाथ) | (राधेश्याम) | (डा0 के0एस0 पाण्डेय)

क्रमशः 2/–पर......

Scanned with CamScan

स्थल पर नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ठ के आंशिक भाग लगभग 1.5 टन/दिन का निस्तारण सेग्रीगेशन एवं वर्मीकम्पोस्टिंग के माध्यम से अस्थायी रूप से किया जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर सेग्रीगेटेड रिसायकिलेबिल वेस्ट को एकत्र किया गया था तथा नगर पालिका परिषद प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रिसायक्लेबिल वेस्ट पंजीकृत इकाईयों को बेच दिया जाता है।

ग्राम–रौप के शिकायती स्थल के चारों दिशाओं की भौगौलिक स्थिति निम्नानुसार है:–

I. उक्त स्थल से पूरब दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम–रौप (आबादी लगभग 05 घर) एवं लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम–मुसहीं की आबादी स्थित है।

II. स्थल से पश्चिम दिशा में लगभग 150 मीटर की दूरी पर जिला अस्पताल एवं लगभग 650 मीटर की दूरी पर वाराणसी–शक्तिनगर राज्य मार्ग स्थित है।

III. स्थल से उत्तर दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर खेत में निर्मित शिकायतकर्ता का आवास स्थित है।

IV. स्थल के दक्षिण दिशा में वन विभाग की भूमि तथा लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी पर पुलिस लाईन रोड स्थित है।

2. निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर नगर पालिका परिषद, सोनभद्र द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया जा रहा है एवं पूर्व में निस्तारित म्युन्सिपल सॉलिड वेस्ट को मिट्टी से कवर कर दिया गया है।

वर्मीकम्पोस्ट पिट्स

सेग्रीगेटेड प्लास्टिक वेस्ट

(प्रदीप गिरी) (रवीन्द्र नाथ) (राधेश्याम) (के0एस0 पाण्डेय)

क्रमशः 3/–पर........

Scanned with CamScanner

3. नगर पालिका परिषद, रावर्ट्सगंज के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि खसरा संख्या–524 (रकबा–3.092 हेक्टेयर) ग्राम–रौप, मझौली, पड़री, सोनभद्र का आवंटन जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र ने अपने आदेश संख्या–108/1029/DLRC भूमि–पूर्न0–2016, दिनांक 18.07.2016 द्वारा नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट की व्यवस्था विकसित करने हेतु की गयी है। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, सोनभद्र ने अपने पत्र संख्या–1319/ स्था0नि0लि0–ठोस अपशिष्ट/2016, दिनांक–27.07.2016 द्वारा सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, सोनभद्र को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है (संलग्नक–2)।

4. सी0 एण्ड डी0 एस0, जल निगम, सोनभद्र के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला प्रशासन, सोनभद्र द्वारा ग्राम–रौप, मझौली, पड़री के गाटा संख्या–524 की आवंटित अधिकांश भूमि पथरीली होने के कारण भूमि को समतल किये जाने मे स्टोन कटिंग की अनुमानित लागत प्लाण्ट की लागत से अधिक हो जायेगी एवं विभाग द्वारा सर्वेक्षण के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण प्लांट स्थापित किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

5. निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज के उपस्थित अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम–बडागॉव, तहसील–घोरावल में गाटा संख्या 517 ख मि पर नगर पालिका परिषद राबर्ट्सगंज सोनभद्र से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ठ के निस्तारण हेतु 5.0 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है तथा उक्त भूमि का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय निकाय को अधिकरण आदेश दि0 03.08.2019 द्वारा किया गया है (संलग्नक–3)। उक्त स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ठ से कम्पोस्ट बनाने हेतु स्थल विकसित करने हेतु सी0 एण्ड डी0एस0, सोनभद्र को पत्र दि0 16.08.2019 भेजा गया है। (संलग्नक–4) उक्त कार्यवाही प्रक्रिया में है। उक्त स्थल के विकसित किये जाने के उपरान्त वर्तमान स्थल ग्राम–रौप में नगरीय ठोस अपशिष्ठ का निस्तारण पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जायेगा।

(प्रदीप गिरी) (रवीन्द्रनाथ) (राधेश्याम) (के0एस0 पाण्डेय)

क्रमशः 4/–पर........

Scanned with CamScanner

निष्कर्षः—

समिति ने निरीक्षण के समय पाया है कि शिकायती स्थल गाटा संख्या—524, ग्राम—रौप, मझौली, पड़री के आराजी संख्या—524 (रकबा—3.092 हेक्टेयर) को जिला प्रशासन, सोनभद्र द्वारा नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज तथा नगर पंचायत, चुर्क—गुरमा को आवंटित किया गया है । उक्त भूमि किसी निजी व्यक्ति की नहीं है तथा वर्तमान समय में उक्त स्थल पर म्युन्सिपल सॉलिड वेस्ट का निस्तारण सेग्रीगेशन तथा वर्मीकम्पोस्ट की विधियों द्वारा अस्थायी रूप से किया जा रहा है। ग्राम—बडागॉव, तहसील—घोरावल में नगर पालिका परिषद राबर्ट्सगंज से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ठ के निस्तारण हेतु 5.0 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित नगरीय ठोस अपशिष्ठ से कम्पोस्ट बनाने की व्यवस्था विकसित करने के उपरान्त वर्तमान स्थल ग्राम—रौप में नगरीय ठोस अपशिष्ठ का निस्तारण पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जायेगा।

अतः उक्त अवधि तक ग्राम—रौप में अस्थायी रूप से नगरीय ठोस अपशिष्ठ का निस्तारण बन्द कराया जाना जनहित में उचित नहीं है।

(प्रदीप गिरी)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
राबर्ट्सगंज,
सोनभद्र।

(रवीन्द्रनाथ)
परियोजना प्रबन्धक,
सी0 एण्ड डी0 एस0,
यूनिट—38, उ0प्र0
जल निगम,
सोनभद्र।

(राधेश्याम)
30/9/2020
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, सोनभद्र।

(एस0के0एस0 पाण्डेय)
उप जिलाधिकारी,
सदर,
सोनभद्र।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र

कार्यालय आदेश

संदर्भ संख्या 6113898/06-66/NST/2020

दिनांक 29/01/2020.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–1034/2019 कृपाकर मिश्रा बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 के मुख्य अंश निम्नानुसार है:–

"Prayer in this application is for steps to prevent illegal dumping of solid waste near Village Raup, Majholi Padardi, Sonbhadra District Hospital and the protected forest area in Robertsganj.

Before considering the matter further, we find it necessary to require a factual and action taken report in the matter from the District Magistrate, Sonbhadra and the UPPCB. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The report may be filed by email within one month at judicial-ngt@gov.in -----------"

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम–रौप, मझौली, पड़री, जिला अस्पताल सोनभद्र तथा संरक्षित वन क्षेत्र, राबर्ट्सगंज में अवैध रूप से सॉलिड वेस्ट भण्डारित किये जाने की जांच करने, प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान की आख्या प्रस्तुत करने एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:–

1. उप जिलाधिकारी, सदर, सोनभद्र।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
3. अधिशासी अभियन्ता, सी0 एण्ड डी0 एस0, सोनभद्र।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।

समिति को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आख्या अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस.राजलिंगम)
जिलाधिकारी, सोनभद्र

<u>पृ0सं0 एवं दि0</u>–उपरोक्तानुसार।
<u>प्रतिलिपि</u>–समिति के समस्त सदस्यों को अनुपालन हेतु।

जिलाधिकारी, सोनभद्र

Scanned with CamScanner

संलग्नक- 2

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र।

पत्रांक 419 /स्था0नि0लि0–ठोस अपशिष्ट/2016 दिनांक: 27-जुलाई,2016

विषय: ठोस अपशिष्ट पदार्थो के निस्तारण हेतु भूमि के चयन के संबंध में।

सहायक अभियन्ता,

सी0एण्डडी0एस जल निगम सोनभद्र।

निदेशक, स्थानीय निकाय/स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक पी0एम0यू0/154/एसडब्लूएम/एस0बी0एम0/2016 दिनांक 27 जून, 2016 के कम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0 108/1029/डीएलआरसी–भूमि–पुर्न0–2016 दिनांक 18 जुलाई, 2016 द्वारा नगर पालिका परिषद सोनभद्र एवं नगर पंचायत चुर्क–गुर्मा हेतु ग्राम रौप परगना बड़हर गाटा सं0 524 रकबा 3.092 हे0 एवं आदेश सं0 109/1043/डीएलआरसी–भूमि–पुर्न0/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा नगर पंचायत ओबरा व चोपन हेतु ग्राम बिल्ली मारकुन्डी परगना अगोरी तह0 रा0गंज गाटा सं0 2239गमि0 रकबा 2.023 हे0 तथा आदेश 110/1044/डीएलआरसी–भूमि–पुर्न0/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016द्वारा नगर पंचायत दुद्धी हेतु ग्राम दुमरडीहा परगना व तह0 दुद्धी के गाटा सं0 105ख मि0 2.024हे0 भूमि का पुर्नग्रहण सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की स्थापना हेतु किया गया है। (विस्तृत आदेश की छायाप्रति संलग्न है।)

अतः आप उक्त स्वीकृति के कम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही तत्काल करें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न करें, प्रगति के सम्बन्ध में आप स्वयं जिलाधिकारी महोदय को अवगत करायें।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार ।

अपर जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पृ0सं0 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद सोनभद्र,नगर पंचायत, चुर्क–गुर्मा/घोरावल/चोपन एवं दुद्धी को इस आशय के साथ प्रेषित कि तत्काल संबंधित विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करें।

27.7.16

अपर जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

Scanned with CamScanner

संलग्नक-3

विज्ञप्ति फार्म पुनर्ग्रहण

आकार–पत्र–1

(शासनादेश संख्या–744/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक जून 03, 2016के अनुसार)

शासनादेश सं0–258/16(1)–1973–रा–1 दिनांक– 16.06.1981 का आंशि परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 201 की धारा–59 की उप धारा 4 के खण्ड–(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 नियम–55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना संख्या– 740/एक–1–2016– 20(5)/2016, दिनांक– जून 03, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयो करते हुये, मैं अंकित कुमार अग्रवाल, जिलाधिकारी, सोनभद्र, संलग्न अनुसूची के स्तम्भ–6 उल्लिखित भूमि, जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अप अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0) में	भूमि की श्रेणी	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सोनभद्र	घोरावल	बड़हर	बड़ागांव	517ख मि0	5.000	5–3ड0 बंजर	नगर विकास विभाग (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु)

पुर्नग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ–9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुर्नग्रहीत भूमि का उपयोग इस निमित्त तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् गांवसभा में सन्निहित हो जायेगी।

03/08/19
(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र।

पत्र सं0 297(1-4)/डीएलआरसी–पुर्न0–ठो0अ0प्र0–2019 दिनांक– 03 अगस्त, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ।
3– आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4– प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, सोनभद्र।
5– उप जिलाधिकारी, घोरावल को अनुपालनार्थ प्रेषित।

03/08/19.
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

Scanned with CamScan

-1015/1(3)-4

कार्यालय नगर पालिका परिषद सोनभद्र, जनपद–सोनभद्र

पत्रांक– 552/2019 दिनांक– अगस्त 16, 2019

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
यूनिट–38, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज
उ0प्र0 जल निगम, सोनभद्र।

विषय–स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के गठन हेतु उपर्युक्त भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक–1501/W-19/28 दिनांक 11.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र के कार्यालय पत्रांक–297(1–4)/डीएलआरसी–पुर्न0–ठो0अ0प्र0–2019 दिनांक 03 अगस्त, 2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा नगर पालिका परिषद के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु तहसील घोरावल, परगना बड़हर के ग्राम बड़ागॉव के गाटा संख्या–517ख मि0, श्रेणी 5–3ड0 बंजर, क्षेत्रफल 5.000 हेक्टेयर उपलब्ध कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त भूमि का निरीक्षण कर डी0पी0आर0 आदि गठन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय
ह0/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सोनभद्र।

संख्या–552(1-3)/दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि–1. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी महोदय, (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, सोनभद्र को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उप जिलाधिकारी महोदय, घोरावल को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ह0/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सोनभद्र।

Scanned with CamScanner